कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
अटल नगर जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़)

ज्ञाप क्रमांक 39012 204 /स्था./प्र.अ./18 अटल नगर रायपुर, दिनांक 11 /02/2019

प्रति,

संचालक
जनसंपर्क विभाग
अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय : दिनांक 07.10.2018 को व्यापम द्वारा आयोजित सहायक प्रोग्रामर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा (CAP18) के परीक्षा परिणाम के उपरांत काउंसिलिंग की सूचना।

-0-

विषयांतर्गत व्यावसायिक परीक्षा मंडल अटल नगर रायपुर द्वारा आयोजित सहायक प्रोग्रामर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा (CAP18) के परीक्षा परिणाम के उपरांत विभाग आबंटित करने के लिए दिनांक 26.02.2018 को काउंसिलिंग आयोजित की गई है। तत्संबंध में "काउंसिलिंग हेतु सूचना" संलग्न है।

निवेदन है कि कृपया छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार नियोजन में उक्त काउंसिलिंग हेतु सूचना का प्रकाशन शीघ्र कराने का कष्ट करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

8/2/19 8/2/19

पृष्ठांकन क्रमांक 39012 204 /स्था./प्र.अ./18 अटल नगर रायपुर, दिनांक 11 /02/2019
प्रतिलिपि :

(1) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग महानदी भवन मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यापम/2019/290 दिनांक 04.02.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

निवेदन है कि कृपया संलग्न काउंसिलिंग हेतु सूचना पत्र को आपके विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(3) संचालक, संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, प्रथम तल, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)

(4) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, डी.के.एस. भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर (छत्तीसगढ़)

(5) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)

(6) मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) ब्लॉक-3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)

(7) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बीज भवन, जी.ई. रोड, तेलीबांधा रायपुर (छत्तीसगढ़)

(8) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(9) संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षक, ब्लॉक-एक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित। निवेदन है कि कृपया दिनांक 26.02.2019 को प्रातः 11:30 बजे कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) में आयोजित काउंसिलिंग में आपके विभाग से संबंधित नोडल अधिकारी उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(10) सर्वर प्रभारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर विभागीय वेबसाईट **https://pwd.cg.nic.in/** में तत्काल अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

(11) पर्यवेक्षक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ एवं तत्काल सूचना फलक में चस्पा हेतु अग्रेषित।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

8/2/19

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
अटल नगर जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़)

"काउंसिलिंग हेतु सूचना"

क्रमांक /स्था./प्र.अ./18 अटल नगर रायपुर, दिनांक /02/2019

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर सहायक प्रोग्रामर के रिक्त 22 पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 07.10.2018 को संयुक्त भर्ती परीक्षा (CAP18) आयोजित की गई तथा दिनांक 29.01.2019 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। सहायक प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई हेतु दस्तावेज परीक्षण का कार्य विभिन्न विभागों द्वारा किया जाना है। विभाग आबंटन की प्रक्रिया कम्प्यूट्राज्ड नहीं की गई है, क्योंकि विभिन्न विभागों के विभागीय नियम व शैक्षणिक योग्यताएं अलग-अलग है। अतः परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट आधार पर अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच तथा विभागों की प्राथमिकता क्रम आबंटित करने हेतु काउंसिलिंग किया जाना है।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card), स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, जन्मतिथि प्रमाणपत्र हाई स्कूल (10वीं) की अंकसूची, हायर सेकेण्डरी (12वीं) की अंकसूची एवं संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों/समस्त सेमेस्टरों की अंकसूची का मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी **स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां तथा ऑनलाईन प्रदर्शित अभ्यर्थी का बायोडाटा सहित (फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित) दिनांक 26.02.2019 को प्रातः 11:30 बजे कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) में उपथित होवें।**

काउंसिलिंग हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का नाम, अनुक्रमांक (रोल नं.) एवं अन्य विवरण का अवलोकन हेतु **लोक निर्माण विभाग के वेबसाईट https://pwd.cg.nic.in/, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट http://cgvyapam.choice.gov.in/** एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया गया है।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)

8/2/19

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
अटल नगर जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़)

सहायक प्रोग्रामर पदों हेतु आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा (CAP18) के पद पर भर्ती हेतु काउंसिलिंग

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर सहायक प्रोग्रामर के रिक्त 22 पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 07.10.2018 को संयुक्त भर्ती परीक्षा (CAP18) आयोजित की गई तथा दिनांक 29.01.2019 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। सहायक प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई हेतु दस्तावेज परीक्षण का कार्य विभिन्न विभागों द्वारा किया जाना है। विभाग आबंटन की प्रक्रिया कम्प्यूटराज्ड नहीं की गई है, क्योंकि विभिन्न विभागों के विभागीय नियम व शैक्षणिक योग्यताएं अलग-अलग है। अतः परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट आधार पर अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच तथा विभागों की प्राथमिकता क्रम आबंटित करने हेतु काउंसिलिंग किया जाना है।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card), स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, जन्मतिथि प्रमाणपत्र हाई स्कूल (10वीं) की अंकसूची, हायर सेकेण्डरी (12वीं) की अंकसूची एवं संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों/समस्त सेमेस्टरों की अंकसूची का मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी **स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां तथा ऑनलाईन प्रदर्शित अभ्यर्थी का बायोडाटा सहित (फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित) दिनांक 26.02.2019 को प्रातः 11:30 बजे कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) में उपथित होवें।**

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 के अनुसार आरक्षित वर्ग (अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के अलावा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र की मांग आवेदकों से नहीं की जावेगी। उक्त परिपत्र के कंडिका-6 (2) के अनुसार "आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जावेगा, जिसमें प्रमाण-पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू राजस्व की भाँति वसूल किए जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।

किसी भी वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी के प्रकरण पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। काउंसिलिंग के लिए उन्हें पृथक से सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी गई है। काउंसिलिंग में उपथित होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होगा।

उपरोक्त सूची नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सूची नहीं है। संबंधित विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विज्ञापित पद के अनुसार अंतिम रूप से चयन की कार्रवाई की जावेगी।

काउंसिलिंग हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक (रोल नम्बर) एवं नाम का विवरण निम्नानुसार है :-

(दिनांक 26.02.2019 को प्रातः 11.30 बजे)

स.क्र.	प्रावीण्य सूची का स.क्र.	रोल नं.	अभ्यर्थियों का नाम	जाति/संवर्ग
1	2	3	4	5
1	1	25070246	श्री गणेश राम नायक	अनारक्षित (अ.पि.व.)
2	2	25050048	मनीशा इशरानी	अनारक्षित
3	3	25100294	श्री संदीप कुमार देवांगन	अनारक्षित
4	4	25110320	सृष्टि माधुर	अनारक्षित
5	5	25080004	श्री लोकेश कुमार राठौर	अनारक्षित
6	6	25020167	श्री सिद्धार्थ तिवारी	अनारक्षित
7	7	25020335	मनीषा ठाकुर	अनारक्षित
8	8	25140168	अनामिका जैन	अनारक्षित
9	9	25040070	शैलजा	अनारक्षित
10	10	25050127	श्री सिद्धीक अल मलिक	अनारक्षित
11	11	25070127	श्री अंशुमन दीक्षित	अनारक्षित
12	12	25110390	श्री कौशल कुमार सिन्हा	अनारक्षित (अ.पि.व.)
13	13	25070119	श्री तानसेन पटेल	अनारक्षित
14	14	25030119	दिप्ती महिलांग	अनुसूचित जाति
15	18	25030271	श्री अजय कुमार धीवर	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	21	25140183	श्री नीलमणि वर्मा	अन्य पिछड़ा वर्ग
17	64	25030180	श्री अनुकूल थावरे	अनुसूचित जाति
18	65	25080001	राजेश्वरी नेताम	अनुसूचित जनजाति
19	150	25100273	प्रियंका कंवर	अनुसूचित जनजाति
20	179	25010030	श्री राजेन्द्र कुमार भगत	अनुसूचित जनजाति
21	197	25140022	श्री आकाश बघेल	अनुसूचित जनजाति
22	231	25050163	श्री बालमुकुन्द नेताम	अनुसूचित जनजाति

स.क्र.	प्रावीण्य सूची का स.क्र.	रोल नं.	अभ्यर्थियों का नाम	जाति/संवर्ग
1	2	3	4	5
			प्रतीक्षा सूची	
1	15	25030217	आकांक्षा पाण्डेय	अनारक्षित
2	16	25070203	श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी	अनारक्षित
3	17	25010259	रूमी घोष	अनारक्षित
4	19	25100328	श्री विष्णु प्रसाद पंचेश्वर	अनारक्षित
5	20	25050036	श्री कश्यप राठौर	अनारक्षित
6	27	25020088	श्री ओमप्रकाश हिरवानी	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	30	25010076	श्री नवीन कुमार वैष्णव	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	78	25010445	श्री विजय टंडर	अनुसूचित जाति
9	104	25050203	रश्मि जांगड़े	अनुसूचित जाति
10	256	25050055	श्री रमेश कुमार सिंह	अनुसूचित जनजाति
11	299	25060244	प्रवासिनी उरांव	अनुसूचित जनजाति
12	342	25030350	हेमपुष्पा	अनुसूचित जनजाति

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)
8/2/19

अभ्यर्थी का बायोडाटा

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो।

(1)	अभ्यर्थी का नाम	:–	
(2)	विभाग का प्राथमिकता क्रम (जिस विभाग में जाना चाहते हैं) (1) कोष, लेखा एवं पेंशन (2) छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग (3) छ.ग. राज्य सूचना आयोग (4) मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) (5) छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल (6) लो.नि.वि. (7) छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (8) छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (9) स्थानीय निधि संपरीक्षक	:–	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(3)	पिता / पति का नाम	:–	
(4)	माता का नाम	:–	
(5)	जन्मतिथि (अंकों में) (शब्दों में)	:– :–	
(6)	दिनांक 01.01.2018 को आयु	:–	वर्ष .... माह .... दिन ....
(7)	लिंग	:–	
(8)	वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित)	:–	हां / नहीं
	(i) यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि	:–	
	(ii) जीवित संतानों की संख्या	:–	
	(iii) जीवित संतानों का नाम व जन्मतिथि	:–	(1) (2) (3)
(9)	रोजगार कार्यालय का नाम	:–	
	जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक	:–	
	पंजीयन की वैधता तिथि	:–	
(10)	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जिले का नाम	:–	तहसील – जिला – मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि – मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय –
(11)	वर्तमान पत्र व्यवहार का पता	:–	

(12)	स्थायी पता	:—	
(13)	श्रेणी (अनारक्षित / अजा / अजजा / अपिव)	:—	स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय –
(14)	क्या आप भूतपूर्व सैनिक है	:—	हां / नहीं
(15)	क्या आप निःशक्तजन है	:—	हां / नहीं
	यदि हां, तो निःशक्तता का प्रकार	:—	प्रकार .... प्रतिशत ....
(16)	**शैक्षणिक योग्यता का विवरण**	–	

क्र.	**उत्तीर्ण परीक्षा का नाम**	**बोर्ड / वि.वि. का नाम**	**उत्तीर्ण वर्ष**	**पूर्णांक**	**प्राप्तांक**	**प्रतिशत**

(17)	भरती परीक्षा का अनुक्रमांक (रोल नम्बर)	:—	
(18)	संयुक्त प्रावीण्य सूची में रैंक	:—	
(19)	वर्ग जिसके लिये आवेदन किया गया है, में प्रावीण्य रैंक	:—	
(20)	संलग्नों की सूची	:—	

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूं कि बायोडाटा में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य एवं अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी एवं इस आधार पर मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है तथा मेरे विरूद्ध विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

दिनांक :—

आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर

नाम –

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थी जिनके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है, वे निम्नानुसार शपथ पत्र भरकर प्रस्तुत करें –

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र ...... वर्ष .... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला ...... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण–पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

–7–

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त / समाप्त / अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / चयन / प्रदत्त लाभ / सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होउँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भॉति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी ....
आत्मज / आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....

Letter2010-11-760